

लेखपत्र/विक्रयपत्र प्लेट का संक्षिप्त विवरण-

1. सम्पत्ति का प्रकार - आवासीय प्लेट अन्दरुन **नन्दिनी गोलोकधाम** सुनरख बांगर तहसील व जिला मथुरा।
 2. स्थित सुनरख बांगर तहसील व जिला मथुरा।
 3. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं./प्लेट नंबर - **वृन्दा ब्लॉक-ए** जो **तल** पर बना है।
 4. मापन इकाई (हेक्टेअर/वर्ग मीटर) - वर्ग मीटर
 5. कुल क्षेत्रफल - वर्ग मीटर सुपर बिल्टअप एरिया
 6. सड़क की स्थिति - 20 फीट से अधिक चौड़े रास्ते पर स्थित है।
 7. कुल आच्छादित सुपर क्षेत्रफल - वर्ग मीटर
 8. निर्माण का वर्ष - नया एवं भौतिक संसाधनों से रहित
 9. प्रतिफल की धनराशि - /- रुपये
 10. स्टाम्प हेतु मालियत - /- रुपये
 11. स्टाम्प देय - /- रुपये जिनमें से /- रुपये का जनरल स्टाम्प व ; /- रुपये का ई स्टाम्प सर्टीफिकेट जो इस प्रलेख के साथ संलग्न है।
 12. सरकारी भूमि दर - /- रुपये प्रति वर्ग मीटर जो पेज नंबर 24 क्रम 43 पर दर्ज है।
- कार्यक्षेत्र उ०नि० मथुरा - द्वितीय

विक्रेता का विवरण

कृष्णाकान्हा रैजीडेन्सी प्रा० लि० कम्पनी जो कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी है, जिसका प्रधान कार्यालय 200/1, रमनरेती, वृन्दावन है, द्वारा **अधिकृत प्रतिनिधि गालव्य देव पुत्र श्री कपिल देव उपाध्याय निवासी गोवर्धनगेट वृन्दावन तहसील व जिला मथुरा** द्वारा **डायरेक्टर विवेक अग्रवाल पुत्र श्री नारायणदास अग्रवाल निवासी 200/1, रमनरेती वृन्दावन तहसील व जिला मथुरा** विक्रेता प्रथम पक्ष (पैन नंबर ए ए डी सी के 1408 क्यू)।
मो-9760120000

क्रेता का विवरण

बैंगलोर, 560010

पैन नंबर

मैं कि **कृष्णाकान्हा रैजीडेन्सी प्रा० लि० कम्पनी** जो कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी है, जिसका प्रधान कार्यालय 200/1, रमनरेती, वृन्दावन है, द्वारा **अधिकृत प्रतिनिधि गालव्य देव पुत्र श्री कपिल देव उपाध्याय निवासी गोवर्धनगेट वृन्दावन तहसील व जिला मथुरा** व **डायरेक्टर विवेक अग्रवाल पुत्र श्री नारायणदास अग्रवाल निवासी 200/1, रमनरेती वृन्दावन तहसील व जिला मथुरा** का हूँ।

जोकि विक्रेता कम्पनी कृष्णाकान्हा रैजीडेन्सी प्रा० लि० ने दि० 18.03.2013 को गैदा पुत्र श्री कोआ से भूमि खसरा नं. 837 की भूमि स्थित ग्राम सुनरख बांगर तहसील व जिला मथुरा में खरीद की, जिसका निबंधन कार्यालय उ०नि० मथुरा पर बही सं. 1 जिल्द सं. 5429 के सफा 397-868 प्रलेख सं. 3605 पर हुआ है और खरीदारी भूमि पर विकास कार्य कराकर उस पर एक आधुनिक आवासीय कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण मथुरा से संशोधित मानचित्र सं. 20190116155833033 स्वीकृत कराकर आवासीय कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया है और जिसके प्लेटों की बिंद्री हेतु प्रयास किए गए, प्लेट संख्या **वृन्दा ब्लॉक-ए** जो **द्वितीय तल** पर बना है, कुल सुपर एरिया वर्ग मीटर, जिसमें **कनरा, टॉयलेट, स्टेर, रसोई, ड्राईंग रूम, बालकोनी** बने हैं, कुल सुपर कवर्ड एरिया वर्ग मीटर, जिसकी सीमाएँ यह हैं -

पूर्व - दरवाजा व कॉमन पैसेज
पश्चिम - बालकोनी व ओपन टू स्काई
उत्तर - प्लेट नंबर
दक्षिण - बालकोनी व ओपन टू स्काई

स्थित ग्राम सुनरख बांगर तहसील व जिला मथुरा, द्वितीय पक्ष द्वारा बुक कराया गया, जो उक्त खसरा नंबर **837** की भूमि में है, जिस पर विक्रेता कम्पनी का वास्तविक व मालिकाना कब्जा है और जिसकी बाबत विक्रेता कम्पनी को हर प्रकार के अधिकार मालिकाना व काबिजाना व हस्तान्तरण आदि के प्राप्त हैं और जो हर तरह के विवादों झगड़ों झंझटों व कर्जों जमानतों व हर प्रकार की दायरेदारियों से मुक्त है, जिसमें अलावा विक्रेता कम्पनी के अन्य किसी का कोई हक हिस्सा या सम्बन्ध नहीं है, न कोई ऐसा व्यक्ति या वस्तु या कारण है, जो विक्रेता कम्पनी के उक्त प्लेट के बेचे जाने में किसी भी प्रकार की रूकावट या बाधा पैदा कर सके तथा हम **अधिकृत प्रतिनिधि गालव्य देव व डायरेक्टर विवेक अग्रवाल** को विक्रेता कम्पनी कृष्णाकान्हा रैजीडेन्सी प्रा० लि० के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की आहूत बैठक दिनांक **22.09.2017** द्वारा प्लेट बिक्रय सम्बन्धित सभी कार्य करने व बिक्रयपत्र निष्पादित करने आदि को अधिकृत किया गया, जिस कम्पनी के हम क्रमशः **अधिकृत प्रतिनिधि व डायरेक्टर** हैं। इस प्रकार विक्रेता कम्पनी की ओर से **अधिकृत प्रतिनिधि गालव्य देव व डायरेक्टर विवेक अग्रवाल** को हर प्रकार के प्रलेख निष्पादित करने आदि के अधिकार प्राप्त हैं। उक्त प्लेट **नन्दिनी गोलोकधाम** में स्थित है, जिसके विकास कार्य विक्रेता कम्पनी द्वारा कराए गए हैं, जिन विकास कार्यों को नियमानुसार कराया गया है, जिसे भली-भाँति क्रेता ने देख व समझ लिया है, जिससे वह संतुष्ट है। भविष्य में कोई क्लेम विकास कार्य कम या अधिक होने की बाबत क्रेता द्वारा न किया जा सकेगा। उक्त आवासीय कॉम्प्लेक्स का निर्माण शान्तिपूर्ण वातावरण कायम करने के लिए किया गया है। अतः प्लेट स्वामियों द्वारा कोई भी ध्वनि प्रदूषण, या अन्य किसी भी प्रकार का प्रदूषण व पशुपालन न किया जा सकेगा और कायम किए गए रास्ते व अन्य सुविधाओं में अवरोध डालने वाला या उसे क्षति पहुँचाने वाला कोई भी कार्य न किया जा सकेगा। उक्त आवासीय कॉम्प्लेक्स फाटक बन्द कर सुरक्षित की गयी है, जिसकी कायम दीवारों एवं फाटकों व निकासों को यथावत कायम रखा जावेगा। उसे क्षति पहुँचाने वाला कोई कार्य क्रेताओं द्वारा न किया जा सकेगा तथा भविष्य में सभी सामूहिक सुविधाओं व विद्युत सड़क व पानी की जो व्यवस्था की गयी है, उसे यथावत कायम रखने हेतु जो भी व्यय आयेंगे, उसके लिए एक व्यवस्था समिति कायम की जावेगी एवं जो भी माहवारी या वार्षिक या एकमुश्त व्यय अदा करने की व्यवस्था समिति द्वारा की जावेगी, वह सभी क्रेताओं को मान्य होगी और उसके अनुरूप अपना अंशदान क्रेता द्वारा समिति को दिया जाना अनिवार्य होगा। प्लेट सीलिंग तक बेचा जा रहा है। प्लेट की छत व सम्मलित उपयोग की दीवारें व निर्माण के फर्श आदि में खरीदार कोई भी ऐसा कार्य या तोड़फोड़ न कर सकेगा, जिससे बराबर वाले प्लेट स्वामियों या ऊपर - नीचे के प्लेट स्वामियों को अपने स्वामित्व वाली सम्पत्तियों को उपयोग करने में किसी भी प्रकार का असुविधा हो या क्षति पहुँचे। यदि खरीदार ऐसा कोई कार्य करे तो पीड़ित पक्ष को होने वाली आर्थिक, शारीरिक व मानसिक क्षतिपूर्ति की अदायगी का जिम्मेदार होगा। अतः उक्त प्लेट को सीलिंग तक उक्त सभी शर्तों की पाबन्दियों के साथ समस्त अधिकारों सहित जो उसकी बाबत विक्रेता को प्राप्त है, या भविष्य में प्राप्त हो सकते हो, बिना विक्रेता कम्पनी ने अपने पास रखे या छोड़े किसी भी हक व अधिकार के फ्रीहोल्ड सुखाधिकारों के साथ बरेवज। /-रु. (रुपये) में बदस्त

बैंगलोर, 560010 क्रेता को बै कतई कर दिया व बेच दिया। कीमत का कुल

रुपया खरादार स निम्न भात प्राप्त कर बच गए पलट स विक्रेता कम्पनी न अपना कब्जा वास्तविक व मालिकाना समाप्त कर मानचित्र में रंग लाल से दर्शाये गए प्लेट पर क्रेता का वास्तविक व मालिकाना अधिकार कर दिया। क्रेता एकमात्र स्वामी प्लेट का हो गया, जिसकी बाबत वह कुल अधिकारात मालिकाना व काबिजाना अपने प्रयोग में लावे और एकमात्र स्वामी के रूप में क्रेता प्लेट का खुद जो चाहे सो करे। अब विक्रेता कम्पनी को या उनके डायरेक्टर व प्रबन्धक वर्तमान व भविष्य के, को बेचे गये प्लेट से कोई सम्बन्ध किसी भी प्रकार का शेष नहीं रहा, न आयन्दा भविष्य में कदापि होगा। अगर बेचे गये प्लेट की बाबत कभी कोई विवाद मिलिकयत सम्बन्धी पैदा हो या कब्जा क्रेता से निकल जावे या ऋण जमानत देनदारी का भार पाया जावे और उसके कारण क्रेता को कुछ खर्च करना पड़े, या देना पड़े, तो कुल की अदायगी व जबाबदेही की जिम्मेदारी विक्रेता कम्पनी के जिम्मे होगी, क्रेता वह सब हस्ब जाब्ता वसूल कर ले। उपरोक्त बैनामा क्रेता व विक्रेता व गवाहान को पढाकर, सुनाकर व दिखाकर ड्राफ्ट किया है। बेचे जाने वाला प्लेट नगर निगम की सीमा के अन्दर है तथा 50 मीटर सराऊडिंग में आवासीय प्लॉट व प्लेट है।

विवेक अग्रवाल पुत्र श्री नारायणदास अग्रवाल निवासी 200/1, रमनरेती वृन्दावन तहसील व जिला मथुरा द्वारा निष्पादित इस विक्रयपत्र को पंजीकरण हेतु विक्रेता विवेक अग्रवाल के तसदीकी मुख्तारनामा आम प्रभात कुमार चतुर्वेदी पुत्र स्व० श्री सुन्दर श्याम जी चतुर्वेदी निवासी डैम्पीयर नगर मथुरा द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा जिस तसदीकी मुख्तारनामा का निबन्धन कार्यालय उ०नि० मथुरा में बही नंबर 6 जिल्द नंबर 2 के सफा 371 से 378 पर नंबर 1 पर दिनांक 29.03.2019 पर हुआ है।

विवरण मूल्य का कुल रुपया प्राप्ती का-

मूल्य का कुल /-रु विक्रेता ने क्रेता से इस प्रकार प्राप्त किए कि-

- /- रुपये आई एम पी एस दिनांक 10.10.2019
- /- रुपये आई एम पी एस दिनांक 04.11.2019
- /- रुपये आई एम पी एस दिनांक 04.11.2019
- /- रुपये एन ई एफ टी दिनांक 27.11.2019
- /- रुपये आई एम पी एस दिनांक 27.11.2019
- /- रुपये एन ई एफ टी दिनांक 28.11.2019
- /- रुपये एन ई एफ टी दिनांक 28.11.2019
- /- रुपये आर टी जी एस दिनांक 03.09.2020
- /- रुपये बैंक नंबर दिनांक 07.09.2020 आई सी आई सी आई

सभी पेमेन्ट ब्लाक ए कम्पलीट होने के बाद प्राप्त हुआ है इस लिए इस पर जी एस टी लागू नहीं होता है।

लिहाजा यह बैनामा वखुशी राजी खूब सोच समझकर लिख दिया, कि सनद रहे और समय पर काम आवे, जिसके हम व हमारे वारिसान आदि सदैंव पाबन्द रहेंगे।

दिनांक : 07.09.2020

टाईप किया : 07.09.2020

ड्राफ्ट किया : एडवोकेट मथुरा।

गवाह:- श्रीमती पत्नी श्री निवासी

बैंगलोर, 560010 मो० :

गवाह:- पुत्र : निवासी , मथुरा मो० :

उ० प्र० शासन द्वारा सार्वजनिक निजी एवं सहकारी क्षेत्र की नई आवासीय योजना में आर्थिक दृष्टि एवं अल्प वर्गों के व्यक्तियों के लिये आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने सम्बन्धी नीति शासनादेश संख्या-३1८८/आठ-1-1३-८० विविध/२०1० दिनांक ०५.१२.2०1३ के अधीन निर्मित एल०आई०जी० मकान एवं उ० प्र० शासन द्वारा निर्धारित ई०डब्ल्यू०एस० एवं एल०आई०जी० भवनों के आवंटन की प्रक्रिया शासनादेश संख्या-1/२४1८/आ-1-1४-८० विविध/11० दिनांक 2८.०८.2०1४ के तहत उ०प्र० शासन के द्वारा उपाध्यक्ष मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा दिनांक 1०.11.2०1४ को आवंटित एल०आई०जी०/ई०डब्ल्यू०एस० प्लैट लेखपत्र/विक्रयपत्र प्लैट का संक्षिप्त विवरण –

1. सम्पत्ति का प्रकार – आवासीय प्लैट अन्दरून नन्दिनी गोलोकधाम सुनरख बांगर तहसील व जिला मथुरा

2 .स्थित सुनरख बांगर तहसील व जिला मथुरा जो नगरपालिका वृन्दावन की सीमा के बाहर है।

3. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं./प्लैट नंबर **एल, आई, जी,** (एल०आई०जी०/ई०डब्ल्यू०एस०) ब्लाक मन्जरि जो ' ' तल पर बना है।

4. मापन इकाई (हैक्टेअर/वर्ग मीटर) – वर्ग मीटर

5. कुल क्षेत्रफल – वर्ग मीटर सुपर एरिया

6. सड़क की स्थिति – 2० फीट से अधिक चौड़े रास्ते पर स्थित है।

7. निर्माण का वर्ष एवं भौतिक संसाधनों से रहित

9. प्रतिफल की धनराशि – /— रुपये

1०. स्टाम्प हेतु मालियत – /— रुपये

11. स्टाम्प देय महिला छूट प्राप्त कर – /— रुपये जिसमें से /— रुपये का जनरल स्टाम्प व /— रुपये का ई स्टाम्प सर्टीफिकेट जो इस प्रलेख के साथ संलग्न है।

12. सरकारी भूमि दर – /— रुपये प्रति वर्ग मीटर लेकिन प्लैट छठवां तल पर होने के कारण निर्धारित दर का 90 प्रतिशत यानि /— रुपये प्रति वर्गमीटर जो पेज नंबर 24 क्रमांक 43 पर दर्ज है।
- कार्यक्षेत्र उ०नि० मथुरा

विक्रेता का विवरण

कृष्णाकान्हा रेजीडेंसी प्रा० लि० कम्पनी जो कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी है, जिसका प्रधान कार्यालय 2००/1, रमनरेती, वृन्दावन है, द्वारा **अधिकृत प्रतिनिधि गालव्य देव पुत्र श्री कपिल देव उपाध्याय निवासी गोवर्धनगेट वृन्दावन तहसील व जिला मथुरा व डायरेक्टर विवेक अग्रवाल पुत्र श्री नारायणदास अग्रवाल निवासी 200/1, रमनरेती वृन्दावन तहसील व जिला मथुरा** विक्रेता प्रथम पक्ष (पैन नंबर ए ए डी सी के 1४०८ क्यू)।
मो-97६०12००००

क्रेता का विवरण

श्रीमती पेन नंबर	श्री निवासी मो०
-------------------------	------------------------

समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की मकान खरीदने की क्रय क्षमता को ध्यान में रखते हुए आर्थिक दृष्टि से दुर्बल एवं अल्प आय वर्गों के लिए शासनादेश संख्या 31८८/आठ-1-1३-80 विविध/201० दिनांक 05.12. 2०13 के द्वारा दुर्बल आय वर्ग एल०आई०जी० के लिए मकान का बिल्टअप एरिया ग्रुप हाउसिंग में 25 से 35 वर्गमीटर का मानक तय किया था व अल्प आय वर्ग के लिए 35 से 48 वर्गमीटर सुपर एरिया का मानक था एवं शासन द्वारा निर्धारित कीमत हुडको द्वारा 1४.12.2012 से पुनर्रक्षित मानकों के अनुसार ई०डब्ल्यू०एस० की कीमत 25 वर्गमीटर के लिए ३.25 लाख तथा एल०आई०जी० मकान 35 वर्गमीटर की लिए 7 लाख रुपये तय की जो सुपर एरिया उक्त से अधिक होने पर भवनों के वास्तविक बिल्टअप एरिया के सापेक्ष में प्रो-राटा आधार पर सीलिंग कॉस्ट अंकलित की जायेगी cost inflation index 14.12.2012 (या वित्तीय वर्ष 2०11-12) में हुडको द्वारा तय कीमत के समय 7८५ अंक था लेकिन मकान आवंटन के समय 1०-11-14 (या वित्तीय वर्ष 2014-1५) cost inflation index 1०25 अंक था अतः 25 वर्गमीटर मकान की कीमत 1०-11-14 को इन्डेक्स के अनुसार हुई क्योंकि कृष्णाकान्हा रेजीडेंसी प्रा० लि० 200/1 युगल निवास रमण रेती वृन्दावन मथुरा की आवासीय योजना गोलोक धाम सुनरख बांगर के पीछे रुकमणी विहार के पास वृन्दावन छटीकरा रोड पर एल०आई०जी० का वास्तविक बिल्टअप एरिया **4०.3५** वर्गमीटर है अतः शासनादेश के अनुसार 5.25 वर्गमीटर एरिया अधिक है इस प्रो-राटा के अनुसार गोलोक धाम योजना में एल०आई०जी० प्लैट आवंटन के समय कीमत /— रुपये हुई इसी कीमत पर आवंटी **श्रीमती श्री निवासी**

एल०आई०जी० भवनों के आवंटन की प्रक्रिया स सम्बाधित शासनादेश संख्या 1-241८/आठ-1-14-80 विविध/1० द्वारा सार्वजनिक निजी सहकारी क्षेत्र में एल०आई०जी० भवनों का आवंटन लीज होल्ड के आधार पर किया गया है जिसके विक्रय हस्तान्तरण पर आवंटन की तिथि से 5 वर्षों अथवा देय लागत जमा करने की तिथि जो भी बाद में हो, तक प्रतिबन्ध रहेगा। 5 वर्ष के बाद फ्रीहोल्ड माना जायेगा। जिसके सम्बन्ध में विकास प्राधिकरण द्वारा फ्रीहोल्ड परिवर्तन का औपचारिक आदेश 1 माह के अन्दर जारी किया जायेगा। इस हेतु लामार्थी द्वारा कोई भी फ्रीहोल्ड शुल्क देय नहीं होगा। यदि किसी लामार्थी की मृत्यु हो जाती है तो सर्वप्रथम भवन का कब्जा उसके पति/पत्नी को एवं पति/पत्नी की मृत्यु होने पर पुत्र/पुत्री को हस्तान्तरित हो सकेगा। कृष्णा कान्हा रेजीडेंसी प्रा०लि० कम्पनी जो कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है जिसका प्रधान कार्यालय 200/1 युगल निवास रमणरेती वृन्दावन है द्वारा **अधिकृत प्रतिनिधि गालव्य देव पुत्र श्री कपिल देव उपाध्याय निवासी गोवर्धन गेट वृन्दावन जिला मथुरा व डायरेक्टर कम्पनी विवेक अग्रवाल पुत्र श्री नारायणदास अग्रवाल निवासी 200/1 रमणरेती वृन्दावन तहसील व जिला मथुरा** विक्रेता प्रथमपक्ष के हैं।

विक्रेता ने दि० 1८.०3.2०13 को गैँदा पुत्र श्री कोआ से भूमि खसरा नं. 837 की भूमि स्थित ग्राम सुनरख बांगर तहसील व जिला मथुरा में खरीद की, जिसका निबन्धन कार्यालय उ०नि० मथुरा पर बही सं. 1 जिल्द सं. 5४29 के सफा 397-86८ प्रलेख सं. 3६०5 पर हुआ है और खरीदारी भूमि पर विकास कार्य कराकर उस पर एक आधुनिक आवासीय कॉम्पलैक्स के निर्माण हेतु मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण मथुरा से संशोधित मानचित्र सं. 2०19०11615५833033 स्वीकृत कराकर आवासीय कॉम्पलैक्स का निर्माण किया है।

क्रेता के हक में उक्त आवंटित प्लैट ई०डब्ल्यू०एस०/एल०आई०जी० संख्या ' ' में **एक कमरा, बाथरूम, एक लिविंग, रसोई, बालकोनी** बने हैं, कुल सुपर एरिया **4०.3५** वर्ग मीटर, जिसकी सीमाएं यह हैं –

पूरव	— दरवाजा व बालकोनी
परिवन	— बालकोनी व ओपन दू स्काई
उत्तर	— बालकोनी व ओपन दू स्काई
दक्षिण	— प्लैट नंबर

जिस पर विक्रेता कम्पनी का वास्तविक व मालिकाना कब्जा है और जिसकी बाबत विक्रेता कम्पनी को हर प्रकार के अधिकार मालिकाना व काबिजाना व हस्तान्तरण आदि के प्राप्त हैं और जो हर तरह के विवादों झगडे झंझटों व कर्जों जमानतों व हर प्रकार की देनदारियों से मुक्त है, जिसमें अलावा विक्रेता कम्पनी के अन्य किसी का कोई हक हिस्सा या सम्बन्ध नहीं है, न कोई ऐसा व्यक्ति या वस्तु या कारण है, जो विक्रेता कम्पनी के उक्त प्लैट के बेचे जाने में किसी भी प्रकार की रूकावट या बाधा पैदा कर सके तथा हम **अधिकृत प्रतिनिधि गालव्य देव व डायरेक्टर विवेक कुमार अग्रवाल** को विक्रेता कम्पनी कृष्णा कान्हा रेजीडेंसी प्रा०लि० के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की आहूत बैठक दिनांक **22.०९.2०17** द्वारा प्लैट विक्रय सम्बन्धित किया गया, जिस कम्पनी के हम क्रमशः **अधिकृत प्रतिनिधि व डायरेक्टर** हैं। इस प्रकार विक्रेता कम्पनी की ओर से हम **गालव्य देव व विवेक अग्रवाल** को हर प्रकार के प्रलेख निष्पादित करने आदि के अधिकार प्राप्त हैं। उक्त प्लैट नन्दिनी गोलोक धाम में स्थित है, जिसके विकास कार्य विक्रेता कम्पनी द्वारा कराए गए हैं, जिन विकास कार्यों को नियमानुसार कराया गया है जिसे मली भांति क्रेता ने देख व समझ लिया है, जिससे वह संतुष्ट है। भविष्य में कोई क्लेम विकास कार्य कम या अधिक होने की बाबत क्रेता द्वारा न किया जा सकेगा। उक्त आवासीय कॉम्पलैक्स का निर्माण शान्तीपूर्ण वातावरण कायम करने के लिए किया गया है। अतः प्लैट स्वामियों द्वारा कोई भी ध्वनि प्रदूषण, या अन्य किसी भी प्रकार का प्रदूषण व पशुपालन न किया जा सकेगा और कायम किए गए रास्ते व अन्य सुविधाओं में अवरोध डालने वाला या उसे क्षति पहुँचाने वाला कोई भी कार्य न किया जा सकेगा। उक्त आवासीय कॉम्पलैक्स फाटक बन्द कर सुरक्षित की गयी है, जिसकी कायम दीवारों एवं फाटकों व निकासों को यथावत कायम रखा जावेगा। उसे क्षति पहुँचाने वाला कोई कार्य क्रेताओं द्वारा न किया जा सकेगा तथा भविष्य में सभी सामूहिक सुविधाओं व विद्युत सड़क व पानी की जो व्यवस्था की गयी है, उसे यथावत कायम रखने हेतु जो भी व्यय आयेंगे, उसके लिए एक व्यवस्था समिति कायम की जायेगी एवं जो भी माहवारी या वार्षिक या एकमुश्त व्यय अदा करने की व्यवस्था समिति द्वारा की जायेगी, वह सभी क्रेताओं को मान्य होगी और उसके अनुरूप अपना अंशदान क्रेता द्वारा समिति को दिया जाना अनिवार्य होगा। प्लैट सीलिंग तक बेचा जा रहा है। प्लैट की छत व सम्मलित उपयोग की दीवार व निर्माण के फर्श आदि में खरीदार कोई भी ऐसा कार्य या तोड़फोड़ न कर सकेगा जिससे बराबर वाले प्लैट स्वामियों या ऊपर नीचे के प्लैट स्वामियों को अपने स्वामित्व वाली सम्पत्तियों को उपयोग करने में किसी भी प्रकार का असुविधा हो या क्षति पहुँचे। यदि खरीदार ऐसा कोई कार्य करे तो पीडित पक्ष को होने वाली आर्थिक, शारीरिक व मानसिक क्षतिपूर्ति की अदायगी का जिम्मेदार होगा। अतः उक्त प्लैट को सीलिंग तक उक्त सभी शर्तों की पाबन्दियों के साथ समस्त अधिकारों सहित जो उसकी बाबत विक्रेता को प्राप्त है, या भविष्य में प्राप्त हो सकते हो, बिना विक्रेता कम्पनी ने अपने पास रखे या छोड़े किसी भी हक व अधिकार के फ्रीहोल्ड सखाधिकारों के साथ बरेवज /—रु. (१ रुपये) में बदस्त **श्रीमती पुत्री श्री निवासी**

सेक्टर क्रेता को बै कर्तई कर दिया व बेच दिया। कीमत का कुल रूपया खरीदार से निम्न भाँति प्राप्त कर बेचे गए प्लैट से विक्रेता कम्पनी ने अपना कब्जा वास्तविक व मालिकाना समाप्त कर मानचित्र में रंग लाल से दर्शाये गए प्लैट पर क्रेता का वास्तविक व मालिकाना आधिपत्य करा दिया। क्रेता एकमात्र स्वामी प्लैट का हो गया, जिसकी बाबत वह कुल अधिकारात मालिकाना व काबिजाना अपने प्रयोग में लावे और एकमात्र स्वामी के रूप में क्रेता प्लैट का खुद जो चाहे सो करे। अब विक्रेता कम्पनी को या उनके डायरेक्टर व प्रबन्धक वर्तमान व भविष्य के, को बेचे गये प्लैट से कोई सम्बन्ध किसी भी प्रकार का शेष नहीं रहा, न आयन्दा भविष्य में कदापि होगा। अगर बेचे गये प्लैट की बाबत कभी कोई विवाद मित्कियत सम्बन्धी पैदा हो या कब्जा क्रेता से निकल जावे या ऋण जमानत देनदारी का भार पाया जावे और उसके कारण क्रेता को कुछ खर्च करना पड़े, या देना पड़े, तो कुल की अदायगी व जबाबदेही की जिम्मेदारी विक्रेता कम्पनी के जिम्मे होगी, क्रेता वह सब हस्ब जाब्ता वसूल कर ले। उपरोक्त बैनामा क्रेता व विक्रेता व गवाहान को पढाकर, सुनाकर व दिखाकर ह्रापट किया है। बेचे जाने वाला प्लैट नगर निगम की सीमा के अन्दर है तथा 5० मीटर सराऊडिंग में आवासीय प्लॉट व प्लैट है।

विवेक अग्रवाल पुत्र श्री नारायनदास अग्रवाल निवासी 2००/1, रमनरेती वृन्दावन तहसील व जिला मथुरा द्वारा निष्पादित इस विक्रयपत्र को पंजीकरण हेतु विक्रेता विवेक अग्रवाल के तसदीकी मुख्तारनामा आम प्रभात कुमार चतुर्वेदी पुत्र रस० श्री सुन्दर श्याम जी चतुर्वेदी निवासी डैम्पीयर नगर मथुरा द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा जिस तस्दीकी मुख्तारआम का निबन्धन कार्यालय उ०नि० मथुरा में बही नंबर 6 जिल्द नंबर 2 के सफा 371 से 378 पर नंबर 1 पर दिनांक 29.०3.2०19 पर हुआ है

विवरण मूल्य का कुल रुपया प्राप्ती का-

मूल्य का कुल /—रु विक्रेता ने क्रेता से इस प्रकार प्राप्त किए कि-

/— रुपये बैंक नंबर 62८५५५ दिनांक ०7.०८.202० एस बी आई
/— रुपये बैंक नंबर 4८7३६3 दिनांक 21.०८.202० एस बी आई

सभी पेमेन्ट ब्लाक कम्पलीट होने के बाद प्राप्त हुआ है इसलिए इस पर जी०एस०टी० नहीं कटा।

लिहाजा यह बैनामा वखुशी राजी खूब सोच समझकर लिख दिया, कि सनद रहे और समय पर काम आवे, जिसके हम व हमारे वारिसान आदि सदैव पाबन्द रहेंगे।

दिनांक : 24.०9.2०2०

टाईप किया :

ह्रापट किया : एडवोकेट मथुरा।

गवाह:- मो०	पुत्र श्री निवासी
----------------------	--------------------------

गवाह:-	पुत्र श्री निवासी	मो०
--------	--------------------------	------------